दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, सोमवार 01 जुलाई 2019

www.nyaysakshi.com

ऑनलाईन शौपिंग में धोखाधड़ी, मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदक केशव कुमार दुबे पिता लखन लाल दुबे उम्र 24 साल निवासी बेलादुला खर्राघाट रागयढ़ डिजीटल पुलिस पोर्टल में दर्ज शिकायत दर्ज कराया कि दिनांक 25.01.2019 को flip Cruze.com के माध्यम से मो.न. 989101XXXX के धारक द्वारा वेबसाईट पर शापिंग करने पर लेपटाप या सोनी एल.ई.डी. टीवी गिफ्ट मिलेगी कहकर प्रलोभन दिया जिस पर केशव आई डी नं. 918 से साइड पर बजाज कम्पनी का ड्राई आयरन शापिंग किया और लेपटाप के लिए जी.एस.टी. नंबर एवं इंश्योरेंश रकम जस्ट डायल लिंक के माध्यम से 18,799 रूपये जमा किया है, किन्तु केशव का उसके द्वारा न मंगाया गया सामान मिला है और न ही कोई गिफ्ट। आवेदक के डिजीटल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत पत्र की जांच थाना चक्रधरनगर एवं साईबर सेल रायगढ द्वारा की गई। जांच पर धोखाधड़ी होना पाये जाने से दिनांक 28.06.19 को थाना चक्रधरनगर में मोबाईल नंबर 982101XXXX का धारक के विरूद्ध अप.क्र 215/19 धारा 420 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री ने किया संत माइकेल अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नये विद्यालय भवन का उद्घाटन

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रामभांठा में संत माइकेल अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नये विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाती है एवं व्यक्ति जीवन में नई ऊंचाईयां प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस क्षेत्र में रूचि हो उस क्षेत्र में उन्हें बढ़ावा देने का कार्य अभिभावक एवं समाज करें। बच्चों के व्यक्तित्व विकास का बेहतर अवसर प्रदान करें ताकि वे प्रदेश एवं देश की सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों के पढने् के लिए अच्छे पढ़ाई का वातावरण होना जरूरी है। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज एक अच्छा स्कूल कैम्पस बच्चों के लिए मिला है, जहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी और वे अच्छे नागरिक बनेंगे। उन्होंने बालिकाओं द्वारा किए गए शास्त्रीय नृत्य की सराहना की। उन्होंने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि एक अच्छा स्कूल नगरवासियों को मिला है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक प्रकाश नायक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक लालजीत सिंह राठिया, चक्रधर सिदार, श्रीमती उत्तरी गनपत

जांगड़े, कलेक्टर यशवंत कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, बिशप पतरस मिंज, बिशप पाल टोप्पो एवं सरजियस मिंज सहित बड़ी संख्या में बच्चें एवं नागरिक उपस्थित थे।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घर आंगन से मोटरसाइकिल चोरी रहे आरोपी की तस्वीरें

» सब्जी मार्केट के पास ग्राहक तलाश करते आरोपी को पकड़ा सारंगढ़ पुलिस

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ अन्तर्गत धर्मशाला गली सारंगढ़ में रहने वाले कान्हा स्वर्णकार पिता मुरली स्वर्णकार उम्र 30 वर्ष के घर के आंगन में खड़ी मोटरसाइकिल हीरो होंडा CBZ नम्बर CG 13 N 5362 के हैंडल लॉक को तोड़ कर कोई अज्ञात आरोपी दिनांक 24.06.2019 की रात्रि करीब 09:15 बजे चोरी कर ले गया था। कान्हा स्वर्णकार द्वारा सारंगढ़ पुलिस को उसके घर के बाहर लगे CCTV फुटेज का प्रिंट आऊट विवेचना में सहयोग वास्ते दिया गया था जिस पर संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीरें थी। थाना सारंगढ में मोटर सायकल चोरी के संबंध में अप.क्र. 288/19 धारा 379 ता.हि. पंजीबद्ध किया गया था।

विवेचना दरम्यान थाना प्रभारी सारंगढ़ द्वारा अपने स्टाफ एवं सक्रिय मुखबिरों को संदिग्ध व्यक्ति का फुटेज दिखाये और पतासाजी के निर्देश दिये थे कि आज मुखबिर द्वारा एक व्यक्ति को सब्जी मार्केट के पास मोटर सायकल बिक्री के लिये ग्राहक तलाश करते देखने की जानकारी दिया गया। जिस पर थाना सारंगढ़ स्टाफ संदेही को थाने लाये संदेही ने अपना नाम मनोज कुमार पटेल पिता रामाधार पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी कनकीडीपा थाना बरमकेला बताया जिससे पूछताछ करने पर उसने कान्हा स्वर्णकार के घर के बाहर से मोटर

सायकल चोरी करना कबूल किया है। आरोपी की निशादेही पर चोरी गई हीरो होंडा मोटरसाइकिल सी.बी.जेड. को बरामद किया गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सारंगढ़ ए.के. खान, प्रधान आरक्षक धनेश्वर पंडा, प्रधान आरक्षक जयराम सिदार, आरक्षक पुरुषोत्तम राठौर, आरक्षक विरेन्द्र भगत, आरक्षक अजाम्बर सिदार की सराहनीय भूमिका रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 3 माह में कोतरारोड पुलिस ने दिलाई 20 साल की सजा

न्याय साक्षी/रायगढ़। माननीय न्यायालय एवं पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म/छेड़डाड के आरोपियों को छः माह के भीतर सजा दिलाए जाने के लिए पुलिस को शीघ्रातिशीघ्र विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आज कोतरारोड़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत घटित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपराध पंजीबद्ध के 15 दिनों के अंदर ही आरोपी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी दोष सिद्ध हुआ और माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पास्को एक्ट के प्रकरण में 6 माह के भीतर आरोपी को सजा दिलाए जाने का प्रावधान है जिस पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 02 माह के भीतर पास्को एक्ट के प्रकरण में अनिवार्यतः चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ द्वारा चिन्हित अपराध योजना के नाम की प्रत्येक जिले में कमेटी गठन करने का आदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है।

इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले में चिन्हित अपराध योजना का गठन किया गया है जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (IUCAW) राजेंद्र प्रसाद भैया, उप पुलिस अधीक्षक (IUCAW) श्रीमती गरिमा द्विवेदी एवं सहायक उपनिरीक्षक गिरधारी साव शामिल है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा न केवल दुष्कर्म बल्कि गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरणों को चिन्हित कर एफ.आई.आर. से प्रकरण के निराकरण तक स्वयं अपने प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी में प्रकरण की मॉनिटरिंग/विवेचना कार्य कराते हैं।

चिन्हित अपराध योजना के तहत थाना कोतरारोड़ के अप.क्र. 61/19 धारा 342, 376, 506 IPC, 4 Pocso Act का चयन किया गया था जिसमें अनुसंधान की जिम्मेदारी थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक रूपक शर्मा को दी गई। इस संवेदनशील प्रकरण में स्वयं रूचि दिखाते हुये निरीक्षक रूपक शर्मा द्वारा अपराध पंजीबद्ध के दूसरे दिन ही दिनांक 25.03.19 को आरोपी पितांबर चौहान पिता स्वर्गीय नंदलाल चौहान निवासी इंदिरा नगर कुसमुरा थाना कोतरारोड को गिरफ्तार कर 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण विवेचना कार्य कर चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूर्ण हुई। न्यायालय विचाराण दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलिलों एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया ततउपरांत उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

स्टेट बैंक चोरी का असफल प्रयास करने वाला शातिर चोर पकड़ा गया

» अद्तन चोर महिला का भेष धारण कर चोरी करने घुसा था

» चोरी के मामलों में पहले भी जेल जा चुका है आरोपी

न्याय साक्षी/रायगढ़। गत मार्च माह में थाना चक्रधनगर अन्तर्गत स्क्च्छ्र बैंक में चोरी का असफल प्रयास करने के बहुचर्चित घटना का खुलासा जिला पुलिस द्वारा किया गया है।

ज्ञात हो कि दि. 27.03.19 के दरमियानी रात डिग्री कॉलेज के सामने स्थित भारतीय स्टेट बैंक में किसी अज्ञात चोर द्वारा बैंक के गेट व दरवाजे में लगे ताले को तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया गया था जिस पर एसबीआई बैंक मैनेजर अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 99/19 धारा 457,380,511 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया

गया।

विवेचना दरमियान चक्रधरनगर पुलिस द्वारा बैंक में स्थित सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जिसके एक सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति महिला का पोशाक घाघरा, चुन्नी पहना हुआ बैंक में चोरी का प्रयास करते नजर आ रहा था जिसके कद काठी एवं चाल चलन का आंकलन कर हर संभावित व्यक्ति से चक्रधरनगर पुलिस द्वारा पूछताछ कर तलाश किया गया तथा साइबर सेल द्वारा भी टावर डम एनालिसिस किया गया था किन्तु कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर घटना दिनांक के पहले 03 दिनों में शहर के होटलों में रुके बाहरी व्यक्तियों की जानकारी की जुटाई गयी तथा सक्रिय मुखबिरों से लगातार संदेही के संबंध में जानकारी लिया जा रहा था। प्रकरण के शुरूवाती जांच के समय ही कुछ मुखबिरों ने सीसीटीवी फुटेज को दिखकर मुन्ना शर्मा निवासी जुटमिल के चोरी में होने की संभावना व्यक्त किए थे जिस पर चक्रधरनगर पुलिस निगाह रखे हुये थी किंतु मुन्ना शर्मा लगातार पुलिस से लुकता-छिपता फिर रहा था। दिनांक 28.06.2019 को मुखबिर द्वारा मुन्ना शर्मा को रेलवे स्टेशन के पास घूमते देखने की सूचना चक्रधरनगर पुलिस को दिया जिस पर चक्रधरनगर पुलिस ने संदेही मुन्ना शर्मा को धर दबोचा। पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने के लिए मुन्ना शर्मा इधर-उधर की बातें करता रहा। जिसे एक एक कर जुडकर पुलिस ने हिकमत अमली से पूछताछ किया तो मुन्ना स्वयं ही फंसता गया और अंत में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। घटना के संबंध में आरोपी मुन्ना शर्मा पिता फत्तेलाल शर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी बजंरगपारा चौकी जूटमिल थाना कोतवाली रायगढ़ ने बताया कि घटना दिनांक को ओवरब्रिज जूटमिल के पास से महिला का कपड़ा चोरी कर उसे पहन कर चोरी की योजना बनाई और विनोबानगर तरफ रेल्वे पटरी के रास्ते चोरी करने की फिराक में जा रहा था जिसने SBI स्टेट बैंक को देखा और मोटी रकम चोरी की लालच में चोरी का मन बना कर चोरी का असफल प्रयास किया। आरोपी मुन्ना शर्मा आदतन चोर है , इसके खिलाफ अलग-अलग थानों में चोरी का रिकार्ड है। आरोपी से बैंक के दरवाजे से तोड़े गए 05 ताले, 01 लेडीस गाउन ब्राउन रंग का जप्त किया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480